न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पाठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 118/22
दायर दिनांक– 15/12/2022
निर्णय दिनांक– 08/09/25

अनवान

1. हिन्दूस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा माईन्स जरिये परेश गज्जर पिता रमेश भाई गज्जर सुथार हेड एक्सटर्नल अफेयर हिन्दूस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा कॉम्पलेक्स दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द(राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र बंशीलाल कलाल निवासी सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. शंकर लाल पुत्र सवाईराम जाट निवासी जवासीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द।

विपक्षीगण

उपस्थिति
प्रार्थीगण की ओर से – श्री किशनलाल जाट, अधिवक्ता
विपक्षीगण संख्या 01व 02 की ओर से – श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 03 की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 08/09/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्व नक्शे की तरमीम में दुरस्ती करवाने बाबत)

–: आदेश :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया कि राज्य सरकार के खान विभाग के आदेश कमांक प.17(61) खान/ग्रुप 2/95 जयपुर दिनांक 17/06/2098 के द्वारा हिन्दूस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा माईन्स को संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि के लिये निकट ग्राम सिन्देसर खुर्द 199.8425 हेक्टेयर में खनिज लेड जिंक एवं एसोसिएटेड मिनरल्स के खनन की स्वीकृति दी गई जिसके पालना में खनन पटटा एम.एल 7/95 का पंजीयन दिनांक 20/03/1999 को कराया गया। उक्त पटटा पंजीयन की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

दिनांक से 30 वर्ष की वैधता के लिये है। तथा सरकार के आदेश से उक्त अवधि 19/03/2049 तक वढ गई है।प्रार्थी को आवंटित खनन लीज में वेंटिलेशन रेज में पर्यावरण सुरक्षा आदि कार्य हेतु राजकिय विलानाम भुमि खसरा नं. 433 में से 20.26 हेक्टेयर के धरातलीय उपभोग की अनुमति हेतु जिला कलेक्टर राजसमन्द के आदेश दिनांक 18/12/2013 को आवेदन पेश किया जिससे दिनांक 06/08/2014 को अनुमति प्रदान की गयी। प्रार्थी के द्वारा वेंटिलेशन रेज का निर्माण वर्ष 2016 में करवाया गया। जहा पर किसी का खेत वाढ, मेड वंधी के चिन्ह नही हैं। ग्राम सिन्देसर खुर्द के खसरा नं. 1180/433 रकवा 6 वीघा 13 विस्वा लीज नं. 7/95 में सम्मिलित है। आराजी सं. 1180/433 जरिये नामान्तरण सं. 37 दिनांक 04/04/1975 के द्वारा तत्कालिन खातेदार जगदीश चन्द्र पिता गोपीलाल ब्राहम्ण के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई किन्तु उस वक्त नक्शे में तरमीम नही की गई। उसके पश्चात जगदीश चन्द्र के द्वारा आराजी सं. 1180/433 विपक्षी सं. 1 व 2 को विक्रय की गई जिसका नामान्तकरण सं. 1071 व 1072 से दिनांक 13/05/2019 को जमाबन्दी में दर्ज की गई। जिससे DILRMP योजना के तहत शत प्रतिशत तरमीम के लिये पटवार हल्का राजपुरा से दिनांक 30/01/2019 को रिपोर्ट करने के पश्चात शेष बचे नक्शे में तरमीम की गई। पटवार हल्का रिपोर्ट के साथ आराजी सं. 1180/433 की प्रस्तावित तरमीम का नक्शा चौडाई में अधिक थी जिसको काटकर लम्बाई में अधिक वढाया गया क्योंकि लम्वाई में अधिक बढाने पर खसरा नं. 433 बिलानाम लीज क्षेत्र में सिन्देसर खुर्द माईन्स का वेंटिलेशन रेज विपक्षी सं. 1 व 2 की सीमा मे आ गया जिसका अनुचित लाभ प्राप्त कर सके। सिन्देसर खुर्द के नक्शे में आराजी सं. 1180/433 की तरमीम जिस स्थान पर की गई वहा उनका कब्जा नही रहा। मौके पर कोई सीमांकन के चिन्ह नही हैं न ही विपक्षी सं. 1 व 2 के द्वारा कभी काश्त की गई जिससे खसरा गिरदावरी में कोई इन्द्राज नही है। जबकि प्रार्थी के द्वारा 2016 में ही वेंटिलेशन रेज का निर्माण कर दिया था जहां उची दिवारों का निर्माण मौके पर मौजुद हैं। दिनांक 06/08/2014 को धरातलीय उपभोग की स्वीकृति प्राप्त कर रखी हैं। प्रार्थी के द्वारा जो वेंटिलेशन रेज का निर्माण कर रखा हैं उसे हटवाने वावत विपक्षी सं. 1 व 2 ने धमकिया दी गई जिससे उक्त प्रार्थनापत्र का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय का होने का आधार बताकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज कर विपक्षी जरिये नोटिस तलब कर तहसीलदार रेलमगरा से उक्त सम्बन्ध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तलब की गयी। एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

से जवाब पेश किया गया जिसमें अभिवचन किये गये कि प्रार्थी को सिन्देसर खुर्द माईन्स के क्षेत्र में धरातलीय उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त भुमि पर निर्मित वेंटिलेशन रेज को सम्मिलित करते हुए बिना कब्जे के खसरा सं. 1180/433 की गलत तरमीम को खारिज करवाकर नक्शे की दुरस्ती करवाई जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है राज्य सरकार के आदेश कमांक में जो दिनांक दी गयी है, वह अभी तक नही आयी है, क्योंकि प्रार्थना पत्र में उक्त दिनांक 13/06/2098 अंकित कर रखी है, जबकि वर्तमान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस वक्त वर्ष 2023 ही चल रहा था, जिससे प्रार्थी की संविदा की तिथी अभी तक लागू नही हुई है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न नही होता है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण में दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार है क्योंकि तर्क के रूप में यदि यह मान भी लिया जावें कि यदि प्रार्थी के पक्ष में ML नम्बर 7/95 का कोई पट्टा जारी किया भी हों तो विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमी में होने से उनकी हद तक लीज शुन्य हैं। खनन पट्टा यदि किसी खातेदार की भूमी में उनकी अनुमति के बिना जारी कर दिया जाता है तो उस भूमी क्षेत्र में पट्टेधारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते एवं खातेदार के जानकारी के बिना यदि राज्य सरकार की मिथ्या तथ्यों पर प्राप्त खनन पट्टे अथवा उसकी अवधि के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये जाते हैं तो उससें खातेदार वाध्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने जिस भूमी के संबंध में लीज पट्टा संख्या 7/95 से आवंटित करायी। वह भूमी संवत् 2031 से 2034 में विपक्षी संख्या 1 व 2 को अलोट हो चुकी थी जिनका अंकन सवत् 2031 से 2034 में अंकन हैं। जो नामान्तकण संख्या 37 के जरिये राजस्व अभिलेख में अंकन हुआ। पूर्व में 1180/433 नम्बर जगदीशचन्द्र पिता गोपीलाल ब्राह्मर्ण को अलोट हुई थी, तव से वे ही उपयोग– उपभोग कर रहें थे। अलोटमेन्ट के पश्चात् जगदीशचन्द्र पिता गोपीलाल को खातेदारी अधिकार दिये गये। तब से खातेदार हो गये। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी थी कि जिस भूमी सम्बन्ध में वेंटिलेशन से निर्माण इत्यादी के सम्बन्ध में आदेश जारी करवाया उस वक्त विपक्षी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित था, वर्ष 2019 में विपक्षीगण ने जगदीशचन्द्र से उक्त भूमी कय की थी। जिससें लीज संख्या 7/95 में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

आराजी संख्या 433 में से 20.26 हेक्टेयर के धरातलिय उपयोग अनुमति हेतु का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया हों एवं उस प्रार्थनापत्र पर जो आदेश जारी किये गये वे विपक्षीगण के मुकाबले शुन्य व बेअसर हैं। जबकि आराजी संख्या 433 का कुल रकबा 50 हेक्टेयर हैं। जिसमें से खातेदारी भूमी के बट्टा नम्बर अलग दर्ज हैं। जिससें यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती है की आराजी संख्या 433 में से 20.26 हेक्टेयर किस जगह हैं। केवल मात्र कानुन की आंखों में धुल जोककर यह अभिवचन किया गया की आराजी संख्या 433 में से 20.26 हेक्टेयर धरातली उपयोग हेतु स्वीकृति प्रदान की गई जिससें भी यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती हैं की 433 में से 20.26 हेक्टेयर का रकबा कहा पर स्थित हैं। क्योंकि जब लीज जारी की गई एवं जब धरातलीय उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये उस वक्त तक समस्त अभिलेख में तरमीन नक्शे की नहीं थी। जिससें प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की बिना अनुमति के यदि वेटिलेशन रेंज (फ्रेश एयर इन्टेक्ट 300 मीटर डीप) का निर्माण किया गया हैं तो वह शुन्य हैं। न ही इस प्रकार का निर्माण कर देने से प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त हों जाते हैं। प्रार्थी के अभिवचन से वह विपक्षी की खातेदारी भूमी से सुखाचार की बात कह रहा हैं। जिससें उक्त प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का अधिकार न्यायालय आप को नहीं हैं। प्रार्थी इस तथ्य को स्वयं स्वीकार कर रहा हैं कि आराजी संख्या 433 अथवा उनके पट्टे नम्बर में और कोई स्थाई चिह्न नहीं हैं। तो प्रार्थी किस आधार पर वेटिलेशन रेंज बाकी होना बता रहा हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 के विवरण में प्रार्थी के पक्ष में जारी लीज विपक्षीगण के मुकाबले शुन्य व बेअसर हैं। शेष तथ्य सही होकर स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 के विवरण में आराजी संख्या 1180/433 नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 04/04/1975 में जगदीशचन्द्र के नाम पर अंकित होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है किन्तु राजस्व अभिलेख में तरमीम करना राजस्व कर्मचारियों का दायित्व था। यदि किसी कारणवश राजस्व कर्मचारियों ने नक्शे में तरमीम नहीं की तो उसका फायदा प्रार्थी नहीं प्राप्त कर सकता न ही उसके लिये विपक्षीगण को हानि पहुँचाई जा सकती हैं। जब प्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहा है की दिनांक 26/05/1993 को विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। तो उन्होनें वर्ष 1995 में खातेदार की बिना अनुमति के कैसे लीज प्राप्त कर ली। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 के विवरण सही होकर स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 01 व 02 की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

जानकारी के बिना पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट या नक्शा तैयार किया जाता है और वह खातेदारी की जानकारी के अभाव में बनाये गये उससे पावन्द नही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी को अपने वेंटिलेशन रेन्ज को बचाने की नियत से मिथ्या तथ्यों से एवं बडी चालाकी से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अनुचित दबाव विपक्षीगण के द्वारा नही बनाकर प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण पर बनाया जा रहा है। उनको काश्त करने से वंचित करने की धमकियां दी जा रही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश किय जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण के द्वारा आराजी संख्या 1180/433 जो फसल काश्त की गई तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा उस फसल का अंकन किया गया जिसका खातेदार द्वारा काश्त किये गये एवं राजस्व अभिलेख पटवार हल्का के नियंत्रण में रहते है। जिसमें खातेदार कोई रद्वोबदल नही कर सकता। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 12 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण का शुरू से उसी का कब्जा चला आ रहा है। उसी कब्जे अनुसार काश्त करते चले आ रहें हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 13 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक नही होता है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 14 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को नही होकर भूमि अभिलेख अधिकारी को है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 15 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने योग्य है। **विशेष कथन किया है कि** धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 यह प्रावधान करती हैं की किसी लिपिकिय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुन्य कर सकेगा या करवा सकेगा। जिनका अधिकार अभिलेख में या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरिक्षण के दोरान नोटिस करें"। उक्त प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से राजस्व अभिलेख में कहीं पर भी लिपिकिय गलती स्पष्ट नहीं होती हैं। न ही राजस्व अभिलेख के पुराने एवं तत्पश्चात् बने राजस्व अभिलेख में त्रुटी दर्शित होती हैं, क्योंकि यह धारा केवल परिवर्तनों और त्रुटियों को सुधारने के विषय में ही हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षैत्राधिकार के अभाव में विधि से परे होने से सव्यय खरिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

इस पर प्रकरण में तहसीलदार रेलमगरा से मौका एवं रेकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा अपने पत्रांक 873 दिनांक 17/07/2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि ग्राम सिन्देसर खुर्द का खसरा संख्या 1180/433 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बंजड विनोद कुमार पुत्र वंशीलाल हिस्सा 1/2 जाति कलाल, शंकरलाल पुत्र सवाईराम हिस्सा1/2 जाति जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी में मौके पर उत्तर दिशा में एक लगभग 20 गुणा 20 फिट एवं लगभग 15 फिट उंचाई का सीमेन्ट की दिवारों में बन्द आकृति बनी हुई है। जो उपर से खुली हुई है। पुछताछ से ज्ञात हुआ कि यह हिन्दुस्तान जिंक द्वारा निर्मित एग्जास्ट फेन है। शेष भूमि मौके पर खाली पडी हुई है एवं मेडबन्दी है। आराजी संख्या 1180/433 के दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 1182/433 है। आराजी संख्या 1182/433 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी।, जमनीदेवी पत्नि इन्द्रमल ब्राहम्ण सा. देह के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त आराजी खाली पडी हुआ है। आराजी संख्या 1180/433 के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में आराजी संख्या 433 है। आराजी संख्या 433 रकबा 51.3788 हैक्टेयर किस्म आबादी 0.6475, मगरी (खनन क्षैत्र) 50.7313 के पास में उत्तर एवं पूर्व दिशा में उक्त भूमि खाली पडी हुई है एवं पश्चिम दिशा में सिन्देसर खुर्द से सिन्देसर कला जाने वाला रास्ता निकला हुआ है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया। इसके खण्डन में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब एवं विशेष कथन को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजियात को लीज नम्बर 07/95 में होना बताया जाकर प्रार्थी लीज की प्रति एवं आराजी नम्बर की सूची प्रस्तुत की गयी है जो प्रमाणित नही होकर प्रार्थी स्वयं द्वारा टंकित की जाकर प्रस्तुत की गयी है और प्रार्थी द्वारा लीज का प्रमाणित नक्शा भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के लीज क्षैत्र में स्थित हो। इसी के साथ प्रार्थी का कथन है कि उनके आराजी संख्या 433 में से रकबा 20.26 हैक्टेयर भूमि के धरातलीय उपयोग की स्वीकृति ली गई है किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त पत्रावली में धरातलीय उपयोग की स्वीकृति का आदेश एवं उक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

रकबे का नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत नही किय गया है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि विपक्षी के नाम खातेदारी हक होने का प्रश्न है तो वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी को आवंटन होकर गैरखातेदारी दर्ज हुई थी तथा बाद में वर्ष 1993 में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है, प्रार्थी द्वारा गलत फसल दर्ज कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की बात कही है तो प्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी की नकले प्रस्तुत की गयी है जिसमें विपक्षी द्वारा फसल काश्त किया जाना अंकित है। प्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि विपक्षी को वर्ष 1993 के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये और प्रार्थी को लीज वर्ष 1995 में प्राप्त हुई है जब प्रार्थी द्वारा लीज खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद प्राप्त की गयी है तो बिना खातेदार की स्वीकृति के वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी लीज कैसे ले सकता है और प्रार्थी द्वारा अपने उक्त प्रकरण में लीज के वक्त खातेदार की स्वीकृति ली गई हो ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया है और राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि खनन क्षैत्र अंकित नही है। यदि वादग्रस्त भूमि लीज क्षैत्र में होती तो इसमें खनन क्षैत्र दर्ज होता। जहॉ तक प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के DILRMP के तहत वर्ष 2019 में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम का प्रश्न है तो तत्समय का मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 07/02/2019 का अवलोकन करने पर उनके द्वारा विधिवत जांच किये जाने के बाद ही नियमानुसार तरमीम कार्य किया गया है यदि प्रार्थी को उक्त तरमीम गलत प्रतीत हुई तो प्रार्थी को उसी समय विधिवत कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु प्रार्थी द्वारा तरमीम होने के 03 वर्ष बाद प्रकरण दर्ज किया गया और विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण भी दर्शित नही किया गया है इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मयाद से बाहर भी है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के विपक्षी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश किया जाकर वेटिंलेशन का निर्माण किया जाना प्रतीत होता है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड होकर उक्त भूमि में खनन क्षैत्र भी अंकित नही है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है प्रार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथ से नही आकर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में तथ्यों को छिपाते हुये एवं मिथ्या तथ्यों को अंकित करते हुए विधि से परे जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं और प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये भी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व नही कर पाया है तथा प्रार्थना पत्र मयाद बाहर है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय का अनावश्यक समय जाया किया गया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

: : आदेश : :

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित हो विधि से परे होने, मयाद बाहर होने तथा प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा